

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 22/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 16 मई, 2017

सा0का0नि0 (अ) सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 तथा 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 23/2016- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित, सा.का. नि. 574(अ), दिनांक 6 जून, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में सारणी में, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“सारणी

क्र. स.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3904 61 00	पोलीटेट्राफ्लो रोथिलीन (पीटीएफई)	कोई	रूस	रूस	कोई	कोई	874.56	मी. टन	अमरीकी डालर
2.	3904 61 00	पोलीटेट्राफ्लो रोथिलीन (पीटीएफई)	कोई	रूस	रूस से इतर अन्य कोई	कोई	कोई	874.56	मी. टन	अमरीकी डालर
3.	3904 61 00	पोलीटेट्राफ्लो रोथिलीन (पीटीएफई)	कोई	रूस तथा चीन जनवादी गणराज्य से इतर अन्य कोई	रूस	कोई	कोई	874.56	मी. टन	अमरीकी डालर”

(फा0 सं0 354/106/2004 टीआरयू (भाग-1)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं0 23/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), तारीख 6 जून, 2016 सा0का0नि0 574(अ) तारीख 6 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -11,खंड -3 उपखंड (i) में द्वारा की गई थी ।